कार्यालय : मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड
विश्वकर्मा भवन, प्रथम तल, सुभाष रोड़, सचिवालय परिसर, देहरादून– 248001
Email ID- ceo_uttaranchal@eci.gov.in
फोन न0 (0135) – 2713760, 2713551
फैक्स न0 (0135) – 2713724

संख्याः 1763 / XXV–12(P-7)/2008 देहरादूनः दिनांक 03 अक्टूबर, 2018.

सेवा में,

श्री जी0एस0नेगी,
द्वारा–भातखण्डे हिन्दुस्तानी संगीत महाविद्यालय
जाखन देवी, समीप ग्रीन हिल्स पब्लिक स्कूल,
अल्मोड़ा –263601

विषयः– सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत चाही गयी सूचना के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक आपके पत्र दिनांक 19.09.2018 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से आपके द्वारा सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 के अन्तर्गत सन्दर्भित सूचना उपलब्ध कराये जाने का अनुरोध किया गया है। उक्त संबंध में चाही गयी वांछित सूचना प्रेषित की जा रही है।

बिन्दु संख्या–01	विधान सभा सामान्य निर्वाचन–2017 में जनपद देहरादून में दिनांक 04 जनवरी, 2017 से 15 मार्च, 2017 तक आदर्श आचार संहिता लागू थी, आचार संहिता के निर्देश की 01 प्रति संलग्न है।
बिन्दु संख्या–02	आचार संबंधी दिशा–निर्देश के 03 पृष्ठ संलग्न है।

संलग्न–यथोपरि 04 पृष्ठ

यदि आप उपरोक्त उपलब्ध करायी गयी सूचनाओं से सन्तुष्ट न हों तो विभागीय अपीलीय अधिकारी के सम्मुख निम्न पते पर अपील प्रस्तुत कर सकते हैः–

विभागीय अपीलीय अधिकारी एवं
सहायक मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड
विश्वकर्मा भवन, प्रथम तल, सुभाष रोड़,
सचिवालय परिसर, देहरादून।

भवदीय,

B. S. Rawat
(बी0एस0रावत)
अनुभाग अधिकारी एवं
लोक सूचना अधिकारी

rti 2017

योजना भवन, प्रथम तल, सचिवालय परिसर 4 सुभाष रोड, देहरादून
Email ID- ceo_uttaranchal@eci.gov.in
election09@gmail.com
फोन न0 (0135) – 2712055, 27
फैक्स न0 (0135) – 2713724, 271

संख्या– 30 /XXV – 39/ 2016 देहरादून : दिनांक 04 जनवरी,

ELECTION-UR

सेवा में,

1 मुख्य सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

2 समस्त अपर मुख्य सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

3 समस्त प्रमुख सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

4 सचिव,
श्री राज्यपाल, उत्तराखण्ड।

5– समस्त सचिव/अपर सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

5 मण्डलायुक्त,
गढ़वाल/कुमायूँ मण्डल।

6– समस्त जिलाधिकारी एवं
जिला निर्वाचन अधिकारी,
उत्तराखण्ड।

विषयः– विधान सभा के लिए सामान्य निर्वाचन, 2017– आदर्श आचार संहिता के स
भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशों का प्रेषण।

महोदय,

उपरोक्त विषयक भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी प्रेस नोट संख्या–E 1/2017 दिनांक 04 जनवरी, 2017 के माध्यम विधान सभा सामान्य निर्वाचन, 2017 के कार्य घोषणा कर दी गयी है। विधान सभा सामान्य निवार्चन के कार्यक्रम की घोषणा के साथ ही में तत्काल प्रभाव से दिनांक 04 जनवरी, 2017 से भारत निर्वाचन आयोग की आदर्श संहिता **(Model Code of Conduct)** प्रभावी हो गयी है, जिसके अन्तगत समस्त दिशा समस्त मा0 मंत्रीगणों एवं दर्जा प्राप्त सभा राज्य मंत्रियों पर भी तात्कालिक प्रभाव से प्रभावी आयोग द्वारा जारी कार्याक्रमानुसार उत्तराखण्ड राज्य की 70 विधान सभा निर्वाचन क्षे निम्नानुसार कार्यक्रम निर्धारित किया गया हैः–

1–	अधिसूचना जारी होने की तिथि	–	20 जनवरी, 2017 (शुक्रव
2–	नाम निर्देशन की अंतिम तिथि	–	27 जनवरी, 2017 (शुक्रव
3–	नाम निर्देशन पत्रों की संवीक्षा की तिथि	–	28 जनवरी, 2017 (शनिव
4–	नाम वापसी की अंतिम तिथि	–	30 जनवरी, 2017 (सोमव
5–	मतदान की तिथि	–	15 फरवरी, 2017 (बुधवा
6–	मतगणना की तिथि	–	11 मार्च, 2017 (शनिवार)
7–	वह दिनांक जिससे पूर्व निर्वाचन प्रक्रिया सम्पन्न कर ली जायेगी।	–	15 मार्च, 2017 (बुधवार)

2– उपरोक्तानुसार भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचन कार्यक्रम की घोषणा आदर्श आचार संहिता का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किए जाने हेतु इस कार्यालय संख्या–1650 दिनांक 28 दिसम्बर, 2016 के साथ प्रेषित भारत निर्वाचन आयोग संख्या–437/6/1/2016-CCS दिनांक 26 दिसम्बर, 2016 में जारी दिशा–निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय। उक्त संदर्भ में आयोग के विस्तृत दिशा–निर्देशों के लि की वेबसाईट www.eci.nic.in पर Login कर सकते हैं।

भवदीय

(राधा रतूड़ी)
सचिव एवं

Q 51. Whether the Government can proceed and act upon the following indicative illustrative list of items, which is not exhaustive, without obtaining clearance/approval from the Election Commission?

(i) Extension of term of an official for further period except officials related to conduct of elections,

(ii) Enhancement of minimum penalty in case of ticket less travel,

(iii) Sanctioning of grants to consumer co-ordination council from consumer welfare fund to organize a conference on world consumer rights day,

(iv) Issuing advertisement regarding pulse polio immunization programme,

(v) Seeking financial assistance from National Calamity Contingency Fund for drought relief measure-deputing of inter-Ministerial team of officers to visit concerned State,

(vi) Request of the State Govt. for transportation of water and fodder by Rail in areas declared drought affected,

(vii) Promotion of officials by convening DPC and filling regular posts falling due to retirement, deputation, etc.,

(viii) Appointment of persons on compassionate grounds in pursuance of Court's orders,

(ix) Celebration of "May-Day",

(x) Providing additional charge of office of one officer to another one,

(xi) To call and finalize tenders of routine, repair maintenance, strengthening and upgradation public utilities being run by the local authorities,

(xii) Replacement/repair or damaged water supply distribution pipes,

(xiii) To issue work order of construction of public facilities and public toilets on BOT basis in pursuance of Court's directions,

(xiv) To conduct the election of college students union,

(xv) Clearance of unauthorized structure/land as per orders of Court,

(xvi) Release of advertisement for activities relating to control of HIV/AIDS,

(xvii) Release of advertisement to create awareness about important provisions of labour laws,

(xviii) Purchase of uniform clothes and equipments for Police and awarding of Tender thereof,

(xix) Commencement of desilting of drain/cattle ponds

(xx) Grant of financial upgradation under assured career progression scheme to employees,

(xxi) Calling of tenders for work to control mosquitoes

(xxii) Transfer/posting of doctors,

(xxiii) To shift criminals from one jail to other jail in pursuance of Court's orders,

(xxiv) To form Committee for stock of chemical fertilizer for Kharif and Rabi crops ,

(xxv) To purchase medicine and equipments for hospitals for which grants have already been sanctioned and tenders for which were already called for.

(xxvi) Recruitment rally to enroll youth into the Army,

Ans. Yes

Provided that no impression is given or created that the same has been done with a view to influencing the electorate in favour of ruling party. Further, in the case of advertisements, photo of Minister/political functionary should not be contained therein.

प्राप्त 27/9/18 पंजी०प०/ Speed. Post

सेवा में,

लोक सूचना अधिकारी,

मुख्य निर्वाचन आयुक्त,

उत्तराखण्ड, सचिवालय परिसर,देहरादून ।

विषयः— लोक सूचना अधिकार 2005 के अर्न्तगत सूचना चाहने विषयक।

महोदय,

कृपया लोक सूचना अधिकार 2005 के अर्न्तगत निम्न बिन्दुओं पर सूचना उपलब्ध कराने का कष्ट करें :—

1— विधान सभा चुनाव 2016 में जनपद देहरादून में आदर्श आचार संहिता किस तिथि से किस तिथि तक मान्य थी ? आचार संहिता आदेश की छाया प्रति उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

2 क्या आचार संहिता के मध्य विभागाध्यक्ष कर्मचारियों की पदोन्नति तथा उनकी तैनाती कर सकते हैं? यदि हां /ना तो इस सम्बन्ध में कोई दिशा —निर्देष हों तो उसकी छाया प्रति उपलब्ध कराने का कष्ट करें ।

स्ंलग्न पोस्टल आर्डर रू0 10/

न0— 44F 358081

भवदीय, G S Negi 17/9/18

(जी0 एस0 नेगी)

द्वारा—भातखण्डे हिन्दुस्तानी संगीत महाविद्यालय
जाखन देबी,समीप ग्रीन हिल्स पब्लिक स्कूल, अल्मोड़ा ।

263601

AROI K

कृपया उपरोक्त आवेदक को सूचना उपलब्ध कराते हुए पत्रावली में प्रस्तुत करें

B S Rawat
28-9-2018
S.O/P.I.O